भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2891

बुधवार, दिनांक 06 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर पीवी मॉड्यूल की संस्थापित क्षमता</u>

2891. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री पी. पी. चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण की वर्तमान संस्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो राजस्थान राज्य में किसी विशेष पहल, विनिर्माण इकाइयों या प्रस्ताबित सौर पार्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) वर्तमान में, दिनांक 30.06.2025 को जारी मॉडलों तथा विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के अनुसार, देश में संस्थापित सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 91.6 गीगावाट है।

(ख) एवं (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर नीतियां ला रहा है। अन्य के साथ-साथ की गई विभिन्न पहलें **अनुलग्नक-I** में शामिल हैं। सौर विनिर्माण क्षमता स्थापित करने वाली कंपनियां, भारत में कहीं भी अपनी विनिर्माण यूनिट स्थापित कर सकती हैं। दिनांक 30.06.2025 को जारी मॉडलों तथा विनिर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) के अनुसार, राजस्थान राज्य में 10.12 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ 7 सौर मॉड्यूल विनिर्माण यूनिट स्थापित किए गए हैं।

सरकार, "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, पार्कों के विकास के लिए 20 लाख रु. प्रति मेगावाट या परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है। साथ ही, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क तक की सीएफए प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत, सरकार ने राजस्थान राज्य में 10,276 मेगावाट की संचयी क्षमता के 10 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं।

अनुलग्नक-I

'सौर पीवी मॉड्यूल की संस्थापित क्षमता' के संबंध में पूछे गए दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2891 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

स्वदेशी सौर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य के साथ साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** भारत सरकार 24,000 करोड़ रु. के परिव्यय से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है, ताकि उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूलों में गीगावाट स्तर की स्वदेशी विनिर्माण क्षमता हासिल की जा सके। इस योजना के अंतर्गत 48337 मेगावाट की पूर्ण/आंशिक रूप से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए आबंटन पत्र जारी किए गए हैं।

(ii) **स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता (डीसीआर)**: एमएनआरई की कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, अर्थात् सीपीएसयू योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक-ख और ग, तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिसमें सरकारी सब्सिडी दी जाती है, स्वेदशी स्रोतों से सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों की खरीद करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) **सार्वजनिक खरीद में "मेक इन इंडिया" को वरीयता:** 'उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए खरीद वरीयता (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) अधिसूचित की थी, जिसमें अन्य के साथ-साथ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं या कार्यों की सूची की पहचान की गई थी जिनके संबंध में पर्याप्त स्थानीय क्षमता है और स्थानीय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध है तथा यह अनिवार्य किया गया था कि केवल "श्रेणी-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता" ही उपरोक्त वस्तुओं/सेवाओं/कार्यों के लिए बोली लगाने इस अनिवार्यता के साथ पात्र होंगे कि न्यूनतम स्थानीय सामग्री कम से कम 50% होनी चाहिए।

(iv) **सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)लगाना:** सरकार ने सौर पीवी सेलों, मॉड्यूलों सोलर इन्वर्टरों और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया है।

(v) **सीमा शुल्क रियायत समाप्त करना:** एमएनआरई ने दिनांक 02.02.2021 से सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात के लिए सीमा-शुल्क रियायत प्रमाणपत्र जारी करना समाप्त कर दिया है।

(vi) **सौर सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट:**
सरकार ने सौर पीवी सेलों और मॉड्यूलों के विनिर्माताओं के लिए दिनांक 23.07.2024 की अधिसूचना संख्या 30/2024-सीमा शुल्क की सूची में विनिर्दिष्ट 41 वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी है।

*****